कार्यालय कलेक्टर (सत्कार शाखा) जबलपुर (म.प्र.)

संशोधित ई- निविदा आमंत्रण प्रपत्र एवं शर्ते

निविदा क्रमांक/ 158 /सत्कार वाहन/ 2026 जबलपुर दिनांक: 13 / 05 /2026

जिले में राज्य अतिथियों/ विशिष्ट अतिथियों/ अधिकारियों के आगमन पर परिवहन, सुरक्षा, सत्कार व्यवस्था एवं शासकीय कार्य हेतु ख्याति प्राप्त ट्रेवल्स एजेंसियों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता, फर्म, संस्था, कम्पनी आदि जो कलेक्टर जबलपुर की आवश्यक्तानुसार कमर्शियल वाहन किराये के आधर पर प्रदाय कर सकते है, वे निविदा की नियम एवं शर्तो के अधीन ई निविदा ऑनलाईन https://mptenders.gov.in पोर्टल पर ही प्रस्तुत कर सकते है। निविदा https://mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

ई निविदा प्रस्तुत करने का विवरण :-

क्र	विवरण	तिथि समय एवं स्थान
1	ई निविदा जारी करने की दिनांक एवं समय	14.05.2026 दोपहर 12:00 बजें
2	ई निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं क्रय करने की आरंभ दिनांक एवं समय	14.05.2026 दोपहर 12:00 बजें
3	ई निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	09.06.2026 सायं 6:00 बजें तक
4	ई निविदा का तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	11.06.2026 दोपहर 03:00 बजें
5	ई निविदा की वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	15.06.2026 दोपहर 03:00 बजें

नोट :- तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा तिथि में कार्य के सुविधानुसार परिवर्तन हो सकता है।

निविदा के नियम पर शर्त निम्नानुसार है:-

1. आवश्यकतानुसार विवरण:-

कलेक्टर जबलपुर को समय-समय पर अलग-अलग श्रेणियों के कमर्शियल वाहन किराए पर लेने की आवश्यकता होगी विभिन्न श्रेणियों के कमर्शियल वाहन निम्नानुसार हैं:-

1.1 श्रेणी-1- लग्जरी वाहन
(प्रतिदिन 24 घंटे-250 कि. मी.) के हिसाब से
1.2 श्रेणी-2- लग्जरी वाहन
(प्रतिदिन 12 घंटे-120 कि. मी.) के हिसाब से
1.3 श्रेणी-3- लग्जरी वाहन
(प्रतिदिन 8 घंटे-80 कि. मी.) के हिसाब से
1.4 श्रेणी-4- लग्जरी वाहन
(प्रतिदिन अतिरिक्त प्रति घंटे-10 कि. मी.) के हिसाब से
1.5 श्रेणी-5- मासिक आधार पर वाहन

2. आवश्यकतानुसार वाहन का प्रकार :-

2.1 लग्जरी ए.सी. वाहन - **'श्रेणी A'**

1. फॉर्च्यूनर
2. इनोवा हाईक्रास
3. इनोवा क्रिस्टा
4. इनोवा

2.2 लग्जरी ए.सी. वाहन - **'श्रेणी B'**

1. स्कॉर्पियो
2. एक्स यू व्ही 700
3. टाटा सफारी
4. टाटा हैरियर

2.3 लग्जरी ए.सी. वाहन - **'श्रेणी C'**

1. बोलेरो
2. अर्टिगा
3. हुंडई वर्ना
4. स्विफ्ट डिजायर
5. सियाज

2.4 वाहन - **'श्रेणी D'**

1. ट्रेवलर
2. मिनी बस
3. लोडर वाहन

3. निविदा विवरण, निविदा प्रपत्र मूल्य, प्रतिभूति राशि शुल्क विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	कार्य का विवरण	ई निविदा प्रपत्र का मूल्य	ई-निविदा प्रतिभूति राशि
1	शासकीय कार्य एवं सत्कार व्यवस्था हेतु कमर्शियल वाहन किराए आधार पर लेने दर निर्धारण	500.00 (पांच सौ रूपये मात्र)	100000.00 (एक लाख रूपये मात्र)

निविदा प्रपत्र https://mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रतिभूति की राशि ऑनलाईन https://mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर जिला जबलपुर म.प्र. के पक्ष में जमा करना अनिवार्य है। प्रपत्र की उपरोक्त राशि एवं निविदा प्रतिभूती की उपरोक्त राशि ऑनलाईन https://mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से जमा राशि संबंधी रसीद तकनीकी बिड के साथ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र की राशि एवं निविदा प्रतिभूति की राशि जमा नही होने पर निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्रतिभूति पर ब्याज देय नही होगा।

4. निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

4.1 निविदा दो बिड प्रणाली पर अधारित होगी :- **(अ)** तकनीकी ब्योरे वाली तकनीकी बिड **(ब)** वित्तीय बिड कीमत

4.2 वित्तीय प्रस्ताव उन्ही निविदाकर्ता का खोला जाएगा जिनको चयन समिति द्वारा तकनीकी प्रस्ताव में उत्तीर्ण किया जाएगा।

4.3 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ तकननीकी बिड, प्रपत्र - 1.1, 1.2, 1.3 पर वांछित समस्त अभिलेखो की सुस्पष्ट व पाठनीय और प्रमाणित छायाप्रतिया क्रमबध्द निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

4.4 निविदाकर्ता को वित्तीय दर निविदा प्रपत्र के साथ वित्तीय प्रस्ताव, प्रपत्र – 2 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। निविदा राशि के शब्दो एवं अंको पर भिन्नता होने पर शब्दो की राशि मान्य मानी जावेगी। निविदा पोर्टल पर वित्तीय दर समस्त कर सहित अपलोड करना होगा।

4.5 वित्तीय प्रस्ताव केवल उन्हीं निविदाकारों के खोले जाएंगे जिनको समिति द्वारा तकनीकी प्रस्ताव में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया जाएगा तथा वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार चयनित निम्न दर वाले निविदाकार के साथ ही अनुबंध संपादित किया जाएगा।

5. निविदाकार को निविदा प्रेषित करने के पूर्व उपरोक्त वाहनों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रेषित करनी होगी-

5.1 लग्जरी (एसी/नॉन एसी) वाहन वर्ष 2024 के पूर्व के मॉडल का मान्य नहीं होगा।

5.2 निविदाकर्ता/फर्म/संस्था मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य परिवहन कार्यालय से वैध कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। वैद्य पंजीयन की प्रति तजनीकी बिड के साथ पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

5.3 मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल टैक्सी संचालित करने हेतु ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ट्रैवलिंग एजेंट का रजिस्ट्रेशन ना होने की दशा में निविदा अस्वीकार किया जाएगा। यदि टैक्सी ऑपरेटर द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में ट्रैवलिंग एजेंट के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा निर्धारित शुल्क जमा किया गया है तो इसका प्रमाण तजनीकी बिड के साथ पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

5.4 वाहन का बीमा/ अनुभवी ड्राइवर/ रोड टैक्स/ वैध परमिट आदि की जानकारी तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

5.5 निविदाकार यदि व्यक्तिगत है तो PAN की फोटो प्रति तथा यदि संस्था कंपनियां समिति है तो TAN की फोटो प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

5.6 निविदाकार के पंजीकृत फर्म/ जी.एस.टी. के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

5.7 समस्त निविदाकर्ता को तकनीकी प्रस्ताव (प्रपत्र -1.1, 1.2, 1.3) में दी गई समस्त जानकारियों को अपलोड करना आवश्यक होगा तथा जानकारी से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रति भी अपलोड करना आवश्यक होगा। समिति, किसी भी जानकारी की जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगी तकनीकी प्रस्ताव में दी गई कोई भी जानकारी अधूरी/ झूठी पाई जाने पर संबंधित निविदाकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है तथा ऐसे निविदाकर्ता का निविदा निरस्त किया जाएगा।

5.8 निविदाकर्ता को समस्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित फोटो प्रति तथा इस आशय का प्रमाण करना होगा कि निविदाकर्ता का मुख्य/उप कार्यालय जबलपुर जिले में स्थित है। जिसकी प्रति तकनीकी बिड के साथ साथ अपलोड करना आवश्यक है।

5.9 टैक्सी ऑपरेटर्स/ संस्था/ कंपनी के नाम से खुद के स्वामित्व के कम से कम 04 इनोवा क्रिस्टा/हाईक्रास कमर्शियल वाहन मॉडल 2024 या उसके बाद का एवं 15 लग्जरी कमर्शियल वाहन स्वयं/ अनुबंधित होना आवश्यक है। कमर्शियल वाहनों की समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

5.10 निविदाकर्ता इस आशय का प्रमाण/करार पत्र तकनीकी बिड के साथ साथ अपलोड करना कि कलेक्टर जबलपुर या नियुक्त अन्य अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर एक साथ कम से कम 25 वाहन उपलब्ध कराएगा, आवश्यकतानुसार यदि निविदाकर्ता निविदा के अनुरूप केवल 15 वाहन उपलब्ध कराने में समर्थ है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी दूसरे टैक्सी ऑपरेटर्स से टैक्सी लेने के लिए स्वतंत्र होगा ऐसी स्थिति में निर्धारित किराए की राशि से अधिक राशि का जो भी भुगतान होगा यह निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

5.11 निविदाकर्ता का विगत 01 वर्ष का टर्न ओवर 70 लाख से कम नही होना चाहिये, निविदाकर्ता को तकनीकी बिड के साथ विगत 03 वर्ष का लेखा-जोखा/ आयकर विवरण सहित अपलोड करना अनिवार्य है प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

5.12 निविदाकर्ता या उसके द्वारा संचालित संस्था/कंपनी मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य जिलों में ब्लैक लिस्टेड (Blacklisted) नहीं होना चाहिए।

5.13 निविदाकर्ता को इस प्रकार का कार्य करने का विगत 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए अर्थात विगत 3 वर्षों में उसके द्वारा कौन-कौन से शासकीय/अशासकीय कार्यालय, कंपनी/संस्था में अपने वाहन किराए पर दिए गए थे उन संस्थाओं के नाम एवं उसके द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज की फोटो प्रति तकनीकी बिड के साथ साथ अपलोड करना आवश्यक है।

5.14 निविदाकर्ता द्वारा निविदा के समस्त नियमों/शर्तो पर सहमति हेतु पदमुद्रा के साथ हस्ताक्षर कर तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

5.15 ई निविदा नियमि एवं निर्देशो अनुसार निविदा में निविदाकर्ता के तकनीकी बिड में प्राप्त दस्तावेजो एवं अभिलेखो के परीक्षण आधार पर निविदायो को मूल्यांकित किया जाकर तकनीकी बिड में पात्र पाये जाने वाले निविदाकर्ता की वित्तीय निविदा खोली जावेंगी।

<u>6. वित्तीय प्रस्ताव में न्यूनतम दर निर्धारित करने का पैरामीटर :-</u>

6.1 समिति द्वारा **वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र – 2** लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A' (1.1) के क्रमांक 1 (1,2,3,4) के योग ÷ 4 के अनुसार न्यूनतम दर वाले निविदाकार का चयन समिति द्वारा मूल्यांकन उपरांत पृथक से किया जायगा।

6.2 **वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र – 2** शासकीय एवं सत्कार व्यवस्था हेतु मासिक किराये के आधार पर कमर्शियल वाहन ईधन रहित के क्रमांक 1, 2, 3, 4 के योग ÷ 4 के अनुसार न्यूनतम दर वाले निविदाकार का चयन समिति द्वारा मूल्यांकन उपरांत पृथक से किया जायगा।

6.3 दैनिक एवं मासिक आधार पर वाहनो के लिये अलग – अलग निविदाकर्ता का चयन किया जा सकता है।

6.4 लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A' के लिये चयनित निविदाकार को लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी B', वाहन - 'श्रेणी C', वाहन - 'श्रेणी D' मे न्यूनतम दर वाले निविदाकार की दर पर कार्य करना होगा। इसी प्रकार सहमति नही देने कि स्थिति मे लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी B', वाहन - 'श्रेणी C', वाहन - 'श्रेणी D' के निविदाकार का चयन किया जायगा। परंतु सर्वप्रथम लग्जरी ए.सी. वाहन - 'श्रेणी A' के लिये चयनित निविदाकार को अवसर प्रदान किया जायगा।

6.5 वित्तीय प्रस्ताव में डीजल/ पेट्रोल वाहनों को अलग-अलग वरीयता नहीं दी जाएगी। केवल दिए गए प्रति किलोमीटर के दर के हिसाब से न्यूनतम दर का चयन किया जाएगा।

6.6 चयनित निविदाकार से समिति नेगोशियेशन कर सकती है।

6.7 किसी भी विवाद की स्थिति में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

<u>7. निविदा से संबंधित शर्ते :-</u>

7.1. **निविदा की अवधि 01 वर्ष** तक होगी निविदा की अवधि अगले वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार नवीनीकरण करने का अधिकार कलेक्टर जबलपुर को होगा। सफल निविदाकार के साथ अनुबंध- कलेक्टर जबलपुर या उनके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी अधिकतम 01 वर्ष के लिए सफल निविदाकार के साथ अनुबंध करेंगे।

7.2 निविदा स्वीकृति की सूचना के 10 दिवस के अंदर अनुबंध नहीं करने की दशा में धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

7.3 वित्तीय प्रस्ताव - 2 में दिए गए दर में टैक्स (मध्यप्रदेश शासन/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित) सम्मिलित होगा। यह समस्त निर्धारित टैक्स भुगतान निविदाकार को जी.एस.टी. नियमों के अनुसार कर कार्यालय को सूचित करना होगा ।

7.4 कलेक्टर जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी कोई एक निविदा/ समस्त निविदा या उसका कोई भाग बिना कारण बताए बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर सकता है।

7.5 चयनित निविदाकार यदि कलेक्टर के साथ अनुबंध करने में असमर्थ पाया जाता है या निविदा में किसी भी प्रकरण की गलत जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने में सफल हुआ है, तो ऐसे निविदाकार के स्थान पर अन्य दूसरे निविदाकार का चयन किया जाएगा तथा चयनित दूसरे निविदाकार जो कि एल-2 होगा को भी एल-1 के दर पर कार्य करने की सहमति देनी होगी।

7.6 चयनित निविदाकार किसी भी स्थिति में निविदा किसी दूसरे टैक्सी ऑपरेटर्स को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

7.7 नियमों में परिवर्तन एवं शिथिलता का अधिकार कलेक्टर जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

8. किराए की टैक्सी हेतु नियम एवं शर्तें :-

8.1 वाहन किलोमीटर या समय की गणना कलेक्टर कार्यालय जबलपुर से की जाएगी निविदाकार के गैरेज से या अन्य टैक्सी पार्किंग से टैक्सी के समय एवं किलोमीटर की गणना नहीं की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय जबलपुर से टैक्सी यात्रा प्रारंभ होते समय टैक्सी के समय एवं किलोमीटर की गणना अधिकृत अधिकारी द्वारा नोट की जाएगी एवं यात्रा पूर्ण होने के उपरांत टैक्सी ड्राइवर द्वारा कलेक्टर कार्यालय में संबंधित अधिकारी को टैक्सी किलोमीटर एवं यात्रा में लगे संपूर्ण समय को लॉग बुक में नोट कर उपयोग करने वाले अधिकारी से हस्ताक्षर कराएगा।

8.2 कलेक्टर जबलपुर या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा निविदा फार्म के दिए गए नियमों एवं शर्तों के अधीन टैक्सी किराए पर ली जाएगी। चयनित निविदाकार द्वारा ही सर्वप्रथम किराए की टैक्सी की मांग पूरी की जाएगी यदि चयनित निविदाकार मांग के अनुसार टैक्सी देने में असमर्थ पाया जाता है, तो कलेक्टर जबलपुर बाजार दर के अनुसार अन्य दूसरे ऑपरेटर से टैक्सी लेने के लिए स्वतंत्र होगा ऐसी स्थिति में अंतर की राशि चयनित निविदाकार के देयकों से वसूल की जाएगी।

8.3 वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति जिला कलेक्टर द्वारा मान्य नहीं की जावेगी। इसमें वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिए भी वाहन मालिक ही जिम्मेदार होगा। वाहन के साथ वाहन चालक एवं यात्री बीमा प्रपत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।

8.4 जबलपुर/ जबलपुर जिले के बाहर लगने वाले समस्त टोल टैक्स का वहन कलेक्टर जबलपुर द्वारा किया जाएगा, परंतु मौके पर टोल टैक्स का भुगतान टैक्सी ड्राइवर द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे किए गए समस्त भुगतान को मूल रसीद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने पर इसका भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

8.5 समस्त वाहन जो कि निविदा में दिये जा रहे हैं वर्ष 2024 के पूर्व के मॉडल के नहीं होना चाहिए।

8.6 किराए पर ली गई टैक्सी का समुचित रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा रखा जाएगा। जिसमें वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी/ अतिथि का पूरा नाम, पता, उपयोग करने का दिनांक, समय एवं किलोमीटर आदि की जानकारी संबंधित वाहन के लॉग बुक के साथ-साथ कार्यालय में भी संधारित की जाएगी। लॉग बुक पर उपयोग करने वाले अधिकारी/ अतिथि का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

8.7 किराए की टैक्सी पर होने वाले समस्त व्यय जिसमें टैक्सी की मरम्मत, ड्राइवर का मासिक वेतन, ड्राइवर द्वारा किया गया ओवरटाइम, ड्यूटी ड्राइवर द्वारा संबंधित मोबाइल फोन एवं अन्य समस्त व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा ऐसा कोई भी व्यय कलेक्टर जबलपुर द्वारा ना तो देय होगा, ना ही निविदाकार द्वारा देयक में सम्मिलित किया जाएगा।

8.8 यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से हुई दुर्घटना में क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व टैक्सी ऑपरेटर का होगा तथा ऐसे प्रकरण में न्यायालयीन व्यय का उत्तरदायित्व भी टैक्सी ऑपरेटर का होग। इस प्रकार के किसी भी व्यय के लिए कलेक्टर उत्तरदायी नहीं होगा।

8.9 किराए पर लगने वाले समस्त वाहनों का बीमा होना अनिवार्य है। ऐसे वाहन जिनकी बीमा अवधि समाप्त हो चुकी है, को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसे वाहनों का देयक भुगतान किया जाएगा।

8.10 कलेक्टर के साथ विवाद की स्थिति में जबलपुर स्थित न्यायालय, सक्षम न्यायालय होगा।

8.11 टैक्सी का रजिस्टेशन कमर्शियल के रूप में होना आवश्यक है तथा उस पर अंकित नंबर प्लेट म.प्र. शासन परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।

8.12 किराए पर ली जाने वाली समस्त टैक्सियों का पात्रतानुसार राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ टैक्सी के आगे एवं पीछे "ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी" लिखना अनिवार्य होगा।

8.13 वाहन सेवा असंतोषजनक होने पर 15 दिन का नोटिस देकर वाहन सेवा को बंद किया जा सकेगा। वाहन मालिक भी 15 दिन का नोटिस देकर अपने वाहन की सेवाएं समाप्त कर सकेगा।

8.14 वाहन का किसी भी प्रकार का व्यय, सुधरवाई, टूट-फूट, पंचर आदि का व्यय वाहन मालिक को स्वयं करना होगा।

8.15 प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर वाहन मालिक अपने साधन एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा, जिसके लिए पृथक से कोई दावा मान्य नहीं होगा। प्रवास के दौरान वाहन उपयोग होने पर कोई अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होगा।

8.16 वाहन में हेंड टावल, टिसू पेपर का बॉक्स एवं वाहन परफ्यूम होना चाहिये।

8.17 टैक्सी में टेक्नोमीटर/ स्पीडोमीटर अच्छी स्थिति में होना चाहिए ।

8.18 टैक्सी में अच्छी स्थिति में हेबरिक सीट एवं हैलोजन हेड लैम्प होना चाहिए

8.19 ए.सी. एवं हीटिंग सिस्टम साथ ही कम से कम 04 लोगों के लिए सेफटी बेल्ट लगा होना चाहिए ।

8.20 अन्य सुविधाएं जो आवश्यक हों, टैक्सी में होना चाहिए।

8.21 वाहन किराए पर लेते समय वाहन में डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जिससे कि वाहन कम-से-कम 100 किलोमीटर तक चल सके। आवश्यकतानुसार डीजल भरवाने के लिए ड्राइवर के पास आवश्यक राशि होना चाहिए।

8.22 नियमों में परिवर्तन एवं शिथिलता का अधिकार कलेक्टर जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

9. वाहन के चालक के संबंध में मूल आवश्यकताएँ :-

9.1 टैक्सी ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के इंश्योरेंस की प्रति, वाहन का रजिस्ट्रेशन, मोबाइल फोन होना अनिवार्य है। यदि कमर्शियल लाइसेंस के अभाव में चालान आदि होता है, तो विभाग जिम्मेदार नहीं माना जावेगा एवं इस स्थिति में यात्रा में व्यवधान की भरपाई वाहन मालिक को करनी होगी। इस स्थिति में ₹1000/-(एक हजार रुपये) प्रतिदिन/ प्रति वाहन की दर से कटौती की जावेगी।

9.2 टैक्सी के साथ इस प्रकार के ड्राइवर दिये जाना चाहिए, जिनका विगत 05 वर्षों में किसी भी प्रकार का आपराधिक एवं एक्सीडेंटल रिकॉर्ड ना हो। ऐसा पाए जाने पर टैक्सी ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

9.3 ड्यूटी के समय ड्राइवर को समय-समय पर वाहन की साफ सफाई करनी होगी एवं यात्रा के समय वाहन का लॉग बुक संधारित करना होगा।

9.4 ड्राइवर कम से कम 10 वीं कक्षा में पढ़ा होना चाहिए जो कि भली-भांति लॉग बुक पूर्ण कर सके।

9.5 टैक्सी वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी/ अतिथि के साथ आदर सम्मान के साथ वार्तालाप करना होगा किसी भी प्रकार से किए गए दुर्व्यवहार पर संबंधित ड्राइवर को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाएगा एवं भविष्य में ऐसे ड्राइवर का उपयोग वर्जित रहेगा।

9.6 टैक्सी वाहन के ड्राइवर का कलेक्टर द्वारा **निर्धारित (ग्रे सफारी सूट)** वेशभूषा में रहना आवश्यक होगा एवं टैक्सी वाहन के ड्राइवर की उम्र 62 वर्ष से कम होना चाहिए एवं पूरी तरह से चिकित्सकीय फिट होना चाहिए। एवं चालक द्वारा बिना वर्दी के ड्यूटी पर उपस्थित होने की दशा में प्रति वाहन ₹500 (पांच सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जावेगी।

9.7 ड्राइवर का पुलिस सत्यापन कराने के लिए कलेक्टर जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होगा।

9.8 चालक ड्यूटी के दौरान पान/गुटखा नही खायगा अन्यथा वाहन का 50% किराया काटा जायेंगा तथा संबंधित ड्राइवर को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाएगा एवं भविष्य में ऐसे ड्राइवर का उपयोग वर्जित रहेगा।

9.9 शराब के सेवन उपरांत वाहन चालन करने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त वाहन का 100% किराया काटा जायेंगा साथ ही ई.एम.डी. राशि राज्सात कर ली जावेगी।

9.10 वाहन चालक क्लीन सेव, वेल टर्न आऊट, साफ जूते, कटे हुये नाखून एवं महाजन हेयर स्टाइल में रहेगा ।

9.11 वाहन तथा चालक के फीडबेक हेतु उपलब्ध कराये गये QR कोड को गाडी में समुचित स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

9.12 वाहन चालको की प्रतिमाह सैलरी कलेक्टर दर पर से कम नही होना चाहिये।

9.13 इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर जबलपुर को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय पक्षों को मान्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Peeush Dubey
Date: 13-05-2026
17:09:28

संयुक्त कलेक्टर
एवं
जिला सत्कार
अधिकारी जबलपुर

तकनीकी प्रपत्र – 1.1

निविदा क्रमांक/ 158 /सत्कार/2026
विषय- शास. एवं सत्कार व्यवस्था हेतु कमर्शियल वाहन किराये आधार पर लेने वाबत ।

क्रं.	विवरण	प्रविष्ठि
1.1	निविदाकार का नाम	
1.2	यदि बिन्दु 1.1 से भिन्न है तो टैक्सी ऑपरेटर्स के फर्म/ रजिस्टर्ड संस्था / कंपनी इत्यादि का नाम दिया जाए	
2	निविदाकार की स्थिति व्यक्तिगत / साझेदारी / फर्म / कंपनी / सोसायटी या अन्य दर्शायें।	
3	कमर्शियल टैक्सी स्वयं निविदाकर्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है या नही यदि टैक्सी किसी अन्य के नाम हो तो पूर्ण विवरण दें।	
4	निविदाकार स्वयं निविदा प्रस्तुत कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को तो अधिकृत किया गया है। विवरण देवें।	
5	निविदाकार के संपर्क का विवरण	
5.1	नाम	
5.2	पूर्ण स्थायी पता/ पिनकोड सहित	
5.3	दूरभाष क्रमांक/ मोबाईल नं. एस.टी.डी. कोड सहित	
5.4	फैक्स नं. एस.टी.डी. कोड सहित एवं ई मेल पता यदि हो तो	
5.5	यदि निविदाकार द्धारा अन्य किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	
6.1	नाम	
6.2	पूर्ण स्थायी पता/ पिनकोड सहित	
6.3	दूरभाष क्रमांक / मोबाईल नं. एस.टी.डी. कोड सहित	
6.4	फैक्स नं. एस.टी.डी. कोड सहित एवं ई मेल पता यदि हो तो	

7. निविदाकार द्वारा कमर्शियल टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकृत वाहनों की जानकारी निम्नानुसार हैं:-

क्रं.	विवरण	उपलब्ध कमर्शियल टैक्सी कुल संख्या	कमर्शियल टैक्सी जो कलेक्टर जबलपुर को उपलब्ध कराना है संख्या देवें
1	2	3	4
1	फार्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, हाईक्रास, इनोवा		
2	स्कॉर्पियो, टाटा सफारी, एक्स.यू.व्ही. 700, सफारी		
3	बोलेरो, अर्टिगा, हुंडई वर्ना, स्विफ्ट डिजायर, सियाज		
4	टेवलर, मिनीबस, लोडर		
कुल वाहन			

(नोट :- कृपया टैक्सी का रजिस्ट्रेशन सहित सूची संलग्न करें।)

8. उपलब्ध वाहन चालकों के संबंध में:-

8.1	उपलब्ध कुल वाहन चालकों की संख्या	
8.2	यदि निविदा स्वीकार होती है कलेक्टर जबलपुर को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालकों की संख्या	

(नोट:- कृपया ड्रायवर की सूची जिसमें नाम, पता, मोबाईल नंबर हो संलग्न करें।)

9. निविदाकार द्वारा टैक्सी (पार्किंग) स्थल का पूर्ण विवरण देवें:-

क्रं.	विवरण
9.1	
9.2	
9.3	

10. निविदाकार विगत 03 वर्षों में टैक्सी व्यवसाय के आय-व्यय (Turnover) का तहत किया गया ब्यौरा निम्नानुसार देवे :-

क्रं.	**वर्ष**	**वार्षिक आय-व्यय (Turnover)**
10.1		
10.2		
10.3		

नोट:- कृपया उपरोक्त में से किन्ही 3 वर्षों का आयकर विवरण संलग्न करें। यदि स्वयं का आय 01 करोड़ से कम है तो ऐसी दशा में पार्टनर के आय-व्यय की विवरणी भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु पार्टनर के साथ वैध करार होना आवश्यक है। जिसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

11. किन्ही तीन प्रतिष्ठित संस्था/ कंपनी का शासकीय या अशासकीय कार्यालयों में विगत 03 वर्ष अपने वाहन संलग्न किये गये गये हों, उन संस्थाओं का नाम एवं वहीं से प्राप्त कार्यादेश संलग्न करें:-

क्रं.	**संस्था का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र**
11.1	
11.2	
11.3	

12. क्या आपके द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार दस्तावेजों की सूची संलग्न की गई है, हां या नहीं में जवाब देवें:-

क्रं.	विवरण	जवाब (हाँ या नहीं)
12.1	क्या मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल टैक्सी संचालन करने हेतु ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड हैं? रजिस्ट्रेशन हेतु सत्यापित प्रमाण संलग्न है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या रजिस्ट्रेशन हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं साथ ही निर्धारित शुल्क जमा किया गया है या नहीं? यदि हां, तो आवेदन एवं जमा राशि की पावती की फोटो प्रति https://mptenders.gov.in पर अपलोड है या नहीं?	
12.2	निविदा में दिये गए समस्त वाहन कमर्शियल टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड है या नहीं? कम से कम 15 टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति https://mptenders.gov.in पर अपलोड की या नही ?	
12.3	कम से कम 15 ड्राइवरों के नाम सहित सूची https://mptenders.gov.in पर अपलोड की या नही ?	
12.4	समस्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति https://mptenders.gov.in पर अपलोड की या नही ?	
12.5	विगत 3 वर्षों का आयकर विवरण https://mptenders.gov.in पर अपलोड किया या नही ? (विगत 01 वर्ष का टर्नओवर 70 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।)	
12.6	संस्थानों में कार्य करने का 3 वर्षों के अनुभव संबंधित जानकारी एवं उनके नाम की सूची https://mptenders.gov.in पर अपलोड की या नही ?	
12.7	ए - पार्टनरशिप डीड की फोटो प्रति अपलोड है या नहीं (पार्टनरशिप फर्म के लिए) या एम.ओ.ए. बायलॉज, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र (केवल कंपनी के लिए) या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो निविदाकारों द्वारा समिति के रूप में गठित की गई हो।	
	बी - टैक्सी ऑपरेटर द्वारा यदि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया गया है, तो उस व्यक्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी अपलोड किया गया है या नहीं?	
12.8	क्या समस्त वाहन का रोड टैक्स जमा है एवं सभी वाहनों का वैघ परमिट क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ?	
12.9	क्या सभी वाहनों का वैघ बीमा निर्धारित अवधि के लिये कराया गया है या नहीं ?	
12.10	क्या संस्था / फर्म के पास सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है या नही ?	
12.11	क्या टैक्सी ऑपरेटर का विगत पांच वर्षों में किसी शासकीय या अशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया है या नही ?	
12.12	क्या आपके द्वारा ई.एम.डी. को निर्धारित राशि रूपये 100000/- (एक लाख रुपये) की ऑन लाईन भुगतान https://mptenders.gov.in पर उसकी रसीद अपलोड की या नही ?	
12.13	क्या आपके निविदा फार्म की राशि रूपये 500/-(पाँच सौ रुपये) की ऑन लाईन भुगतान https://mptenders.gov.in पर उसकी रसीद अपलोड की या नही ?	
12.14	क्या आपके द्वारा निविदा में दिये गये अन्य दूसरे नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया है या नही ।	

13. अन्य कोई आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकते हैं।

स्थान :- जबलपुर
दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर
पद सील सहित

तकनीकी प्रपत्र – 1.2

विषय :- कमर्शियल टैक्सी की जानकारी देने बावत् ।
नोट :- टैक्सी ऑपरेटर द्वारा कम से कम 15 कमर्शियल टैक्सी की जानकारी देना अनिवार्य है ।

क्रं.	टैक्सी का प्रकार	वाहन मालिक का नाम	मॉडल वर्ष / रजिस्ट्रेशन वर्ष	संख्या	टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नंबर
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

स्थान :- जबलपुर
दिनांक :-

निविदाकार का हस्ताक्षर
पद सील सहित

तकनीकी प्रपत्र – 1.3

विषय :- कमर्शियल टैक्सी ड्रायवर की पूर्ण जानकारी देने बावत् ।
नोट :- टैक्सी ऑपरेटर द्वारा कम से कम 15 कमर्शियल टैक्सी की जानकारी देना अनिवार्य है ।

क्रं.	नाम	पता	उम्र	मोबाईल नंबर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

स्थान :- जबलपुर
दिनांक :-

निविदाकार का हस्ताक्षर
पद सील सहित

वित्तीय प्रस्ताव 2

निविदा क्रमांक/ 158 / सत्कार/2026

विषय:- शासकीय/सत्कार शाखा व्यवस्था हेतु कमर्शियल वाहन डीजल/ पेट्रोल सहित/ डीजल/ पेट्रोल रहित किराये दर प्रस्तुत करने बाबत।

1. 1.1 लक्जरी ए.सी. वाहन- **"श्रेणी A"** (फार्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, हाईक्रास, इनोवा) डीजल/पेट्रोल सहित :-

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी. 4. प्रति घंटे 10 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहर जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

2. 2.1 लक्जरी ए.सी. वाहन- - **"श्रेणी B"** (स्कार्पिओ, टाटा सफारी, एक्स.यू.व्ही. 700, टाटा हैरियर) डीजल/पेट्रोल सहित :-

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी. 4. प्रति घंटे 10 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहर जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

2.2 लक्जरी ए.सी. वाहन- - **"श्रेणी B"** (स्कार्पिओ, टाटा सफारी, एक्स.यू.व्ही. 700, टाटा हैरियर) डीजल/पेट्रोल रहित :-

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी. 4. प्रति घंटे 10 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहर जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

3 3.1 लक्जरी ए.सी. वाहन- - **"श्रेणी C"** (बोलेरो, अर्टिगा, वर्ना, डिजायर) डीजल/पेट्रोल सहित :-

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी. 4. प्रति घंटे 10 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहर जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

3.2 लक्जरी ए.सी. वाहन- - **"श्रेणी C"** (बोलेरो, अर्टिगा, वर्ना, डिजायर) डीजल/पेट्रोल रहित :-

क्रं	विवरण	दर (रुपये में) अंको	दर (रुपये में) शब्दों
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी. 4. प्रति घंटे 10 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहर जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

4 4.1 लक्जरी ए.सी. वाहन- - **"श्रेणी D"** (ट्रेवलर, मिनी बस, लोडर) डीजल/पेट्रोल सहित :-

क्रं	**विवरण**	**दर (रुपये में) अंको**	**दर (रुपये में) शब्दों**
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी. 4. प्रति घंटे 10 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहर जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

4.2 लक्जरी ए.सी. वाहन- - **"श्रेणी D"** (ट्रेवलर, मिनी बस, लोडर) डीजल/पेट्रोल रहित :-

क्रं	**विवरण**	**दर (रुपये में) अंको**	**दर (रुपये में) शब्दों**
1	1. 08 घंटे 80 कि.मी. 2. 12 घंटे 120 कि.मी. 3. 24 घंटे 250 कि.मी. 4. प्रति घंटे 10 कि.मी.		
2	बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार वाहन निर्धारित कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर ।		
3	जिले से बाहर जाने की स्थिति मे रात्रि विश्राम का दर ।		

5 शासकीय एवं सत्कार व्यवस्था हेतु मासिक किराये के आधार पर कमर्शियल टैक्सी

क्रं	**विवरण (मासिक किराया ड्रायवर सहित)**	**ईधन सहित (1000 कि.मी. तक)**		**ईधन रहित**	
		दर (रुपये में) अंको	**दर (रुपये में) शब्दों**	**दर (रुपये में) अंको**	**दर (रुपये में) शब्दों**
1	इनोवा क्रिस्टा एवं समकक्ष वाहन				
2	स्कॉर्पियो एवं समकक्ष वाहन				
3	बोलेरो एवं समकक्ष वाहन				
4	डिजायर एवं समकक्ष वाहन				

नोट:- **1.** ईधन रहित संलग्न वाहन को अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से डीजल प्रदाय किया जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति लीटर कम एवरेज देने वाले वाहन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य नियम एवं शर्तें निविदा के अनुरूप यथावत रहेंगी।
2. उपरोक्त दर में जी.एस.टी एवं अन्य समस्त टैक्स सम्मिलित होंगे।

उपरोक्तानुसार कलेक्टर जबलपुर द्वारा यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तो मैं निविदा में दिये गये शर्तो एवं नियमों के अनुरूप टैक्सी देने हेतु सहमत हूँ।

स्थान: - जबलपुर
दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर
पद सील सहित

Signature Not Verified
Digitally signed by PEEUSH DUBEY
Date: 2026.05.13 18:30:19 IST
Location: Madhya Pradesh-MP